न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 53/2014

किशना पुत्र श्री पीथा जी रावत जाति रावत निवासी ग्राम दौलतपुरा जामोला, ग्राम पंचायत–जामोला, तहसील–मसूदा, जिला–अजमेर

------वादी

ब ना म

1– पांचु पुत्र श्री कज्जा जी रावत
2– गोपी पुत्र श्री कज्जा जी रावत
दोनों जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम दोलतपुरा जामोला ग्राम पंचायत जामोला तहसील मसूदा जिला–अजमेर
3– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला–अजमेर

----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 6.6.2018

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मोजा दोलतपुरा, पटवार क्षेत्र जामोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार खसरा संख्या 269, 284, 292, 293, 308, 311, 315, 321, 322, 337, 341, 355, 362, 474, 478/1, 478/2, 538 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 21–14–00 वादी की खातेदारी भूमियां है जिसमें सदियों से पूर्वजों के समय से वादी शान्तिपूर्ण तरीके से मालिक हो काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है जिसमें कभी किसी प्रकार कोई विवाद नहीं रहा था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों को वादी ने कभी भी किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में कभी रहन, बेचान अथवा बख्शीश नहीं की है अर्थात् उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादी का अकेला का हक अधिकार है, जिससे प्रतिवादीगण का अथवा अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत रखते हैं, इस बद नियति से दिनांक 10.07.2014 को प्रतिवादीगण अपने साथ ट्रेक्टर लेकर आये एवं वादी की उपरोक्त खातेदारी भूमियों पर नाजायज कब्जा करने की बद नियति से हल चलाने की कोशिश की जिस पर वादी एवं उसके परिजनों ने एवं उपस्थित लोगों ने उन्हें उस दिवस तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिया किन्तु प्रतिवादीगण ने एलानियां धमकियां दी कि वादग्रसत भूमियों पर कब्जा करके रहेंगे एवं कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता है, कहते हुए चले गये किन्तु भविष्य में आकर वादी की खातेदारी भूमियों में नाजायज कब्जा कर सकते हैं जिन्हें जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है, के कारण वादी को वादपत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। ऐसी स्थिति में यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना व संबंध व सरोकार नहीं है एवं वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण को वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में एवं फसल बुवाई से रोकने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 22 अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके जवाब हक बंद किये गये।

------निरन्तर

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार मसूदा ने प्रत्युत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि वादग्रस्त खसरान् किशना वल्द पीथा कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज नामा.सं. 386 दिनांक 31.07.2015 से राहिन यूबीआई लीड़ी मुर्तहीन दर्ज है तथा वादपत्र में वर्णित कथनों में राजहित प्रभावित नहीं है।

बहस वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम दौलतपुरा पटवार क्षेत्र जालिया जामोला की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 25 में अंकित खसरा संख्या 269, 284, 292, 293, 308, 311, 315, 321, 322, 337, 341, 355, 362, 474, 478/1, 478/2, 538 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 21–14–00 वादी किशना वल्द पीथा कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज पाया गया। नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त वादग्रस्त खसरान् में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध सरोकार नहीं होना पाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने भी वादपत्र का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। ऐसी स्थिति में वादी के कथनों को नहीं माने जाने के कोई तथ्य उपस्थित नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम दौलतपुरा पटवार क्षेत्र जालिया जामोला के खसरा संख्या 269, 284, 292, 293, 308, 311, 315, 321, 322, 337, 341, 355, 362, 474, 478/1, 478/2, 538 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 21–14–00 जो वादी की खातेदारी में चली आ रही है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं, उनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट वादी को उसकी खातेदारी भूमियों में जाने से नहीं रोके एवं ना ही वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी उत्पन्न करें एवं वादी की खातेदारी भूमियों में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.6.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 14:31:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: